उ०प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking) CIN: U32201UP1999SGC024928 शक्ति भवन विस्तार. 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-4594-- औसं / 2018-11(4)एफ० / 86(वो- । ।)

दिनांकः 3 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—2053—औसं/2012—11(4)एफ0/86(वो—11) दिनांक 10.07.2012 द्वारा कारपोरेशन के कार्मिकों व उनके आश्रितों को चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु अनिवार्यता प्रमाण—पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में एतद्द्वारा सरकारी/निजी चिकित्सालयों में भर्ती रहकर कैशलेस/सामान्य चिकित्सा कराने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु भरा जाने वाला अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (ESSENTIALITY CERTIFICATE) का प्रारूप आयकर अधिनियम के Rule-3 (a) के दृष्टिगत संशोधित किया जाता है।

संशोधित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (ESSENTIALITY CERTIFICATE) का प्रारूप संलग्न है।

प्रबन्ध निदेशक

कमशः 2...../-

संख्याः-4594-औसं / 2018-तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :--

- 1- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5— निदेशक (आपरेशन) / (प्रोजेक्ट) / (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण / पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9— महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) / समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10— समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/कारपोरेट टैक्स), उप—मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।


MEDICAL/913

- ा 11— समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 - 12— अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0—407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट <u>www.uppcl.org</u> पर अपलोड करने हेतु ।
 - 13- सलाहकार (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 14- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
 - 15— सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
 - 16— कट फाइल । संलग्नक :- यथोपरि।

(नवनीत माथुर) 3:12:18 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

FORM OF ESSENTALLITY CERTIFICATE

U.P Power Corporation Limited



1. 2. 3.	Name of Pa Name and of Of Employ on whom de Relationship with employ	lesignation ee ependent : o of Patient ee :		Paste Photo of Patient
4. 5.	Office of pos	f the employee : sting :		oto of the Patient by Authorised Doctor
I, Dr.			hereby ce	rtify that :-
of Pla Dr	ase) at ace)	patient was admitted f	ital) (date) on my ac And has been	(Name dvice/on the advice of
Fill (b) and (c) if	applicable:		
are a Comr unde	pproved by P missioner (Inc	ease is prescribed in a rinciple Chief Commissione Tax) for the purp th the effect from date	sioner/Chief loose of treatment of	disease of mentioned
maint		[tick as applicable] cal authority/ () appr aployees.		
hospi deter These	talization and tal) were es ioration in the e medicines/	mentioned medicines of there after (up to a magnitude sential for the treatment condition of the patient injections do not include y disinfectant and pro-	aximum of 15 days) ent/ recovery/ prev nt, vouchers for whi de prescriptions which	after release from the ention of the serious ch have been verified.
SI. No) .	Name of Medicine	Quantity	Cost in Rs.
				Total Cost Rs.
				NA - 0 2/-

1193.12:10

3. The accommodation was provided to the patient in private/general ward of this hospital as is ordinarily provided to the inpatients of the employee's status, for which he had been charged at the rate Rs
4. The X-ray/laboratory tests etc, on which an expenditure of Rs
5. The services of special nurse were essential for the recovery / prevention of serious deterioration in the condition of the patient, for the period from
6. The operation and/or other hospital charges totaling Rshave been incurred on the treatment of the patient.
7. The services of Drwere essential for specialized consultation, on which an amount of Rshas been incurred.

Signature of employee/Pensioner

Signature of Authorised Medical Attendant with Seal

Nal 3.12.18